न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 345/2025

1. विकास पुत्र सुरेश कुमार, जाति जाट, निवासी ग्राम पोषाणा, तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुन्झुनूं (राज0)
2. प्रकाश देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार, जाति जाट, निवासी पोषाणा, तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुन्झुनूं (राज0)

——आवेदकगण

बनाम

1. सुप्रिया हाल सहायक कलेक्टर, झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं (राज0)
2. सुरेश कुमार पुत्र हनुमानराम, जाति जाट, निवासी पोषाणा, तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुन्झुनूं (राज0)
3. राजेश कुमार पुत्र हनुमानराम, जाति जाट, निवासी पोषाणा, तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुन्झुनूं (राज0)
4. विजेन्द्र सिंह पुत्र नौरंगराम मूण्ड, जाति जाट, निवासी पोषाणा, तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुन्झुनूं (राज0)
5. इन्द्राज पुत्र भोपाल
6. किशोर पुत्र भोपाल
7. भादर पुत्र भोपाल
8. संतोष पुत्री भोपाल
9. बनवारी पुत्र बिरजूराम
10. संतोष देवी पत्नी ताराचन्द
    समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम पोषाणा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं (राज0)
11. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुन्झुनूं (राज0)

——अनावेदकगण

——

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र मुकदमा उनवानी विकास वगैरह बनाम सुरेश वगैरह मु0नं0 351/2024 दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 162/2024 न्यायालय सहायक कलक्टर झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.08.2025

——

उपस्थितः—

1. श्री रोताश कुमार कुलहरी, अभिभाषक — आवेदकगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेन्द्र कुमार मारवाल, अभिभाषक— अनावेदक सं0 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक — अनावेदक सं0 1 व 11 की ओर से उपस्थित।
4. अनावेदकगण सं0 2 लगायम 10 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 24.02.2026

आवेदकगण की ओर से प्रार्थना पत्र नीचे लिखे अनुसार पेश है कि उनवानी प्रकरण विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं की अदालत में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.08.2025 नियत है। उक्त दावा के साथ ही आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी पेश किया गया है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है जो वर्तमान में प्रभावी है। उपरोक्त उनवानी प्रकरणों में विचारण न्यायालय द्वारा तारीख पेशी छोटी कर कमशः 28.05.2025, 01.06.2025, 12.06.2025, 23.06.2025, 26.06.2025, 03.07.2025, 07.07.2025, 11.07.2025, 18.07.2025, 23.

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

07.2025 दी जा रही है। गत पेशी दिनांक 23.07.2025 को अनावेदक सं0 1 द्वारा आवेदकगण के समक्ष कहा गया कि इस प्रकरण बाबत् शुभकरण चौधरी का फोन आया है इस कारण इस प्रकार निर्णय मैं अनावेदक सं0 1 व 2 के हक में करूंगी जिससे आवेदकगण को पूरा विश्वास हो गया है कि प्रकरण में आवेदकगण के साथ उचित न्याय निर्णय नहीं होगा तथा अनावेदक सं0 1 उक्त प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को भी खारिज कर सकती है तथा आवेदकगण को अनावेदक सं0 2 व 3 ने ऐलानिया धमकी दी है कि हमनें प्रकरण में निर्णय करवाने के लिए शुभकरण चौधरी जी का फोन करवा दिया है तथा सुप्रिया जी शुभकरण चौधरी की बात मानती है और हमनें भी दोनों से बात कर ली है तथा जल्द ही हम प्रकरण में हमारे हक में निर्णय करवा लेंगे। आवेदकगण को जानकारी हुई है कि अनावेदक सं0 1 कई प्रकरणों में शुभकरण जी के अनुसार कार्य कर भी चुकी है। अब आवेदकगण ने जानकारी की तो आवेदकगण को पता चला कि अनावेदक सं0 2 व 3 विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अनावेदक सं0 1 के चैम्बर में भी देखा गया है। उक्त प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 26.08.2025 को अनावेदक सं0 2 व 3 द्वारा पीठासीन अधिकारी अनावेदक सं0 1 से आदेश पारित करवाने की आवेदकगण को धमकी भी दी गई है। अनावेदक सं0 2 व 3 द्वारा आवेदकगण को धमकी देने पर आवेदकगण ने जानकारी की तो आवेदकगण को पता चला कि प्रकरण के पीठासीन अधिकारी अनावेदक सं0 1 को अनावेदक सं0 2 व 3 ने अपने नाजायज प्रभाव में ले रखा है तथा राजनैतिक दबाव बनाया जा रहा है तथा उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी को अनावेदक सं0 2 व 3 द्वारा पीठासीन अधिकारी से आदेश पारित करवाने की भी आवेदकगण को धमकी भी दी गई है। अगर उक्त प्रकरण में आवेदकगण को बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित कर दिया जाता है तो आवेदकगण को सख्त हकतलफी होगी तथा आवेदकगण उचित न्याय निर्णय से वंचित हो जायेंगे। इस कारण आवेदकगण प्रकरण को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरित करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र सेवामें पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त मुकदमा उनवानी विकास वगैरह बनाम सुरेश कुमार वगैरह मु0नं0 351/2024 दावा बाबंत् घोषणार्थ, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 162/2024 न्यायालय सहायक कलक्टर झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं को विचारण न्यायालय से स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सहायक कलक्टर झुन्झुनूं से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। सहायक कलक्टर झुन्झुनूं ने अपने पत्रांक रीडर/2025/3856 दिनांक 10.09.2025 द्वारा प्रकरण मे विस्तृत बिन्दूवार टिप्पणी पेश की।

अनावेदकगण सं0 2 लगायम 10 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अनावेदकगण सं0 2 लगायम 10 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उनवानी प्रकरण विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं की अदालत में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.08.2025 नियत है। उक्त दावा के साथ ही आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी पेश किया गया है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है जो वर्तमान में प्रभावी है। उपरोक्त उनवानी प्रकरणों में विचारण न्यायालय द्वारा तारीख पेशी छोटी कर क्रमशः 28.05.2025, 01.06.2025, 12.06.2025, 23.06.2025, 26.06.2025, 03.07.2025, 07.07.2025, 11.07.2025, 18.07.2025, 23.07.2025 दी जा रही है। गत पेशी दिनांक 23.07.2025 को अनावेदक सं0 1 द्वारा आवेदकगण के समक्ष कहा गया कि इस प्रकरण बाबत् शुभकरण चौधरी का फोन आया है इस कारण इस प्रकार निर्णय मैं अनावेदक सं0 1 व 2 के हक में करूंगी जिससे आवेदकगण को पूरा विश्वास हो गया है कि प्रकरण में आवेदकगण के साथ उचित न्याय निर्णय नहीं होगा तथा अनावेदक सं0 1 उक्त प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को भी खारिज कर सकती है तथा आवेदकगण को अनावेदक सं0 2 व 3 ने ऐलानिया धमकी दी है कि हमनें प्रकरण में निर्णय करवाने के लिए शुभकरण चौधरी जी का फोन करवा दिया है तथा सुप्रिया जी शुभकरण चौधरी की बात मानती है और हमनें भी दोनों से बात कर ली है तथा जल्द ही हम प्रकरण में हमारे हक में निर्णय करवा लेंगे। आवेदकगण को जानकारी हुई है कि अनावेदक सं0 1 कई प्रकरणों में शुभकरण जी के अनुसार कार्य कर भी चुकी है। अब आवेदकगण ने जानकारी की

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

तो आवेदकगण को पता चला कि अनावेदक सं0 2 व 3 विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अनावेदक सं0 1 के चैम्बर में भी देखा गया है। उक्त प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 26.08.2025 को अनावेदक सं0 2 व 3 द्वारा पीठासीन अधिकारी अनावेदक सं0 1 से आदेश पारित करवाने की आवेदकगण को धमकी भी दी गई है। अनावेदक सं0 2 व 3 द्वारा आवेदकगण को धमकी देने पर आवेदकगण ने जानकारी की तो आवेदकगण को पता चला कि प्रकरण के पीठासीन अधिकारी अनावेदक सं0 1 को अनावेदक सं0 2 व 3 ने अपने नाजायज प्रभाव में ले रखा है तथा राजनैतिक दबाव बनाया जा रहा है तथा उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी को अनावेदक सं0 2 व 3 द्वारा पीठासीन अधिकारी से आदेश पारित करवाने की भी आवेदकगण को धमकी भी दी गई है। अगर उक्त प्रकरण में आवेदकगण को बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित कर दिया जाता है तो आवेदकगण को सख्त हकतलफी होगी तथा आवेदकगण उचित न्याय निर्णय से वंचित हो जायेंगे। इस कारण आवेदकगण प्रकरण को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरित करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकर कर उपरोक्त मुकदमा उनवानी विकास वगैरह बनाम सुरेश कुमार वगैरह मु0नं0 351/2024 दावा बाबत् घोषणार्थ, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 162/2024 न्यायालय सहायक कलक्टर झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं को विचारण न्यायालय से स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी सं0 2 ने अपनी बहस में वकील आवेदक के कथनों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अदालत मातहत मे विचाराधीन मुकदमा उनवानी विकास वगैरह बनाम सुरेश वगैरह मु0नं0 351/2024 दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 162/2024 को यदि अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में वकील आवेदक के कथनों का विरोध करते हुए कथनों किया कि अदालत मातहत द्वारा विधिसम्मत् कार्यवाही की जाकर समुचित सुनवाई की जा रही है। वकील प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी पर कोई विशेष आरोप नही लगाये है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र निराधार व मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है जो खारीज होने योग्य है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार, उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे ऐसे कोई ठोस तथ्य दर्ज नही किये है जिनसे यह प्रतीत हो कि न्यायालय सहायक कलक्टर, झुंझुनूं मे दर्ज प्रकरण मुकदमा उनवानी विकास वगैरह बनाम सुरेश वगैरह मु0नं0 351/2024 दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 162/2024 को अन्य न्यायालय मे अन्तरित किया जाना उचित हो। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि प्रार्थी के साथ अदालत मातहत ने कोई अन्याय किया हो। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य सबूत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों को साबित करने मे विफल रहा है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अदालत मातहत को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 24.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर, झुन्झुनूं